वसीयत करने के बारे में आपके लिए जानकारी

The Law Society

वसीयत किसे करनी चाहिए

यदि आपको चिंता है कि आपकी मृत्यु के बाद आपकी संपत्ति का क्या होगा, तो आपको वसीयत करनी चाहिए। वसीयत न हो तो सरकार यह फ़ैसला करती है कि किसे क्या मिलेगा; इस लिए हो सकता है कि आपके मित्रों, मनपसंद चैरिटियों तथा संबंधियों को कुछ भी न मिले।

यदि आपका विवाह नहीं हुआ, और आपकी सिविल पार्टनरशिप (दो समलिंगी लोगों का कानूनी समझौता जिन्हें विवाहित जोड़े का दर्जा दिया जता है), तो वसीयत करना आपके लिए ख़ास तौर पर ज़रूरी है। इसका कारण यह है कि कानून अपने आप सहवासियों (इकट्ठे रहने वाले जोड़े) को विवाहित जोड़े और सिविल पार्टनरों वाले अधिकार नहीं देता। नतीजा यह हो सकता है कि चाहे आप कई वर्षों से इकट्ठे रहते हों तो भी हो सकता है कि आपके/आपकी सहवासी को कुछ भी न मिले।

यदि आपके बच्चे हैं या आप पर निर्भर ऐसे लोग हैं, जो अपनी संभाल ख़ुद नहीं कर सकते, तब भी वसीयत करना बहुत ज़रूरी है। वसीयत न होने पर यह बात निश्चित नहीं रहेगी कि आपकी मृत्यु के बाद उनका ख़र्च कौन देगा।

आपका सोलिस्टर आपको बता सकता है कि आपकी सम्पत्ति पर लगने वाले इन्हैरीटैंस टैक्स का क्या प्रभाव होगा।

निम्नलिखित हालतों में भी आपको वसीयत करने के बारे में कानूनी परामर्श लेने के बारे में विचार करना चाहिए –

- यदि आपकी मृत्यु के बाद बहुत से लोग आपकी सम्पत्ति पर अपने अधिकार का दावा कर सकते हैं क्योंकि वे आप पर निर्भर हैं;
- आप अपनी वसीयत में किसी ट्रस्ट को शामिल करना चाहते हैं (शायद अपने बच्चों की मदद के लिए, टैक्स बचाने के लिए या मृत्यु के बाद आपनी संपत्ति की किसी तरह से सुरक्षा के लिए);
- आपका स्थाई घर यू के में नहीं और आप ब्रिटिश नागरिक नहीं;
- आप इस देश में रहते हैं, परंतु विदेशों में आपकी सम्पत्ति है; या
- आप किसी पूरे कारोबार के या इसके कुछ भाग के मालिक हैं।

वसीयत करने के बाद यदि हालात में परिवर्तन आ जाएं, (जैसे विवाह, सिविल पार्टनरशिप, पति या पत्नी से अलग हो जाना, तलाक या आपकी सिविल पार्टनरशिप (कानूनी तौर पर) समाप्त होना – तो इनसे आपकी वसीयत के कुछ या सभी भाग रद्द हो सकते हैं, या अप्रर्याप्त बन सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि आपको जीवन के बड़े परिवर्तनों के अनुसार नियमित रूप से अपनी वसीयत के बारे में पुनर्विचार करते रहना चाहिए। आपका सोलिस्टर आपको बता सकता है कि वसीयत को नया रूप देने के लिए इसमें कौनसे परिवर्तन करने की ज़रूरत हो सकती है।

सोलिस्टर का उपयोग करना

यद्यपि आप किसी सोलिस्टर की मदद के बिना भी वसीयत कर सकते हैं, परंतु ऐसा करने की सलाह हम नहीं देते, क्योंकि अपनी वसीयत को निश्चित रूप से कानूनी तौर पर वैध बनाने के लिए आपको कुछ बातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। किसी माहिर की मदद के बिना ग़लती हो जाने का ख़तरा होता है, जिससे आपकी मृत्यु के बाद आपके परिवार या मित्रों के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं।

सोलिस्टर ढूँढना

यदि आप वसीयत करना चाहते हैं, और आपका सोलिस्टर नहीं है, तो आप वेबसाईट www.lawsociety.org.uk/findasolicitor पर जाकर Wills and Probate वाला भाग पढ़ कर अपने इलाके के सोलिस्टरों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। या आप ला सोसाइटी को नम्बर 0870 606 2555 पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं।

आपके सोलिस्टर को क्या कुछ जानने की ज़रूरत होगी

यदि आप सोलिस्टर रखेंगे तो वह निम्नलिखित बातें पूछेगा –

आपकी सम्पत्ति

आपकी पूरी सम्पत्ति के बारे में जानकारी, जिसमें घर, कारें, निजी मूल्यवान वस्तुएं, स्टाक और शेयर, बैंक अकाऊँट, बीमा पालिसियाँ, यदि आपका कोई कारोबार है तो वह, और पेन्शनें।

किसे क्या मिलना चाहिए

आप यह सम्पत्ति किसके लिए छोड़ना चाहते हैं? अपने प्रिय लोगों, मित्रों और चैरिटियों में अपनी इस सम्पत्ति को आप किस प्रकार बाँटना चाहते हैं। क्या आप इन तोहफ़ों के साथ कुछ शर्तें भी लगाना चाहते हैं?

परिवार तथा लाभ उठाने वाले अन्य लोग

आपके परिवार और वैवाहिक स्थिति के बारे में जानकारी – क्या आपका तलाक हुआ है, या आपकी सिविल पार्टनरशिप कानूनी तौर पर समाप्त हो गई है? या क्या आपका फिर से विवाह हुआ है या आप किसी साथी के साथ विवाह या सिविल पार्टनरशिप किए बिना रहते हैं? क्या आपके बच्चे या आप पर निर्भर और लोग भी हैं? यदि आप पर निर्भर कोई व्यक्ति यह समझे कि आपने उसके गुज़ारे के लिए काफ़ी धन नहीं छोड़ा, तो वह अदालत से विनती कर सकता है कि आपकी वसीयत के बारे में पुनर्विचार किया जाए। यदि आप अपने सोलिस्टर को सम्बंधित जानकारी दे दें, तो वह किसी भी कानूनी झंझट के बारे में आपको बता सकता है।

गार्डियन (संरक्षक)

यदि आपकी मृत्यु के समय 18 वर्ष से कम आयु के आपके बच्चे हों, तो आपको किसी का नाम बताने की ज़रूरत होगी जो उनका गार्डियन (संरक्षक) बन सके।

अन्य इच्छाएं

आपके अंतिम संस्कार के बारे में क्या आपकी कोई इच्छाएं हैं? क्या आप अपने शरीर को दफ़नाना चाहते हैं या उसका दाह संस्कार करवाना चाहते हैं? क्या कोई अन्य हिदायतें भी आप देना चाहते हैं, जैसे आप शरीर का कोई अंगदान करना चाहते हों, तो यह बात भी आपकी वसीयत में लिखी जा सकती है। परंतु आर्गन डोनर (अंगदान) रजिस्टर अपनी इच्छा रिकार्ड करना और डोनर कार्ड अपने पास रखना भी अच्छी बात है।

आपकी वसीयत को लागू करवाने वाले (ऐक्सीक्यूटर्ज़) कौन हों

आपको उन लोगों के नाम अवश्य बताने चाहिएं जिन्हें आप अपनी वसीयत के 'ऐक्सीक्यूटर्ज़' बनाना चाहते हैं – जो आपकी मृत्यु के बाद आपकी वसीयत लागू करवाने का प्रबंध करेंगे। ये लोग मित्र या परिवार के लोग हो सकते हैं, या आपके सोलिस्टर जैसा कोई व्यवसायिक माहिर भी हो सकता है। अच्छी बात यह होगी कि इनमें से एक व्यक्ति परिवार का कोई सदस्य हो और दूसरा कोई व्यवसायिक माहिर हो। अच्छी बात यह होगी कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को चुनें जो कानूनी बातों का माहिर हो। अपने ऐक्सीक्यूटरों से पूछना याद रखें कि क्या वे इस फ़र्ज़ को निभाने के लिए तैयार हैं क्योंकि इस काम में लंबे समय की ज़िम्मेदारियाँ शामिल हो सकती हैं। अपने से कम उम्र के व्यक्ति को इस काम के लिए कहना अच्छी बात है।

वसीयत पर हस्ताक्षर करना

वसीयत तैयार होने के बाद यह तब तक प्रभावकारी नहीं बन सकती जब तक इस पर हस्ताक्षर न किए जाए। हस्ताक्षर करने के कई नियम हैं, और यदि इन नियमों का सही ढंग से पालन न किया जाए, तो आपकी वसीयत अवैध बन जाएगी। मिसाल के तौर पर, वसीयत के अनुसार गवाह और उनके पति या पत्नियाँ या सिविल पार्टनर वसीयत से कोई लाभ नहीं उठा सकते। इसी कारण, इस समस्या से बचने के लिए कई लोग सोलिस्टर के दफ़तर के स्टाफ़ को गवाह बनाते हैं।

वसीयत करने के बारे में आपके लिए जानकारी

The Law Society

वसीयत कहाँ रखनी चाहिए

वसीयत को किसी सुरिक्षत स्थान पर रखना अच्छी बात है, और अपने ऐक्सीक्यूटरों या किसी नज़दीकी मित्र या सम्बंधी को बता देना चाहिए कि वसीयत कहाँ रखी है। लोग प्रायः वसीयत को रखने का काम अपने सोलिस्टर को संभाल देते हैं। बहुत से सोलिस्टर यह काम मुफ़्त करते हैं परंतु कुछ थोड़ी सी फ़ीस भी लेते हैं।

वसीयत को ताज़ा रखना

आपको अपनी वसीयत के बारे में पाँच वर्षों में कम से काम एक बार फिर से विचार करना चाहिए और हर बड़े परिवर्तन के बाद – जैसे अलग रहने लगने, विवाह, तलाक बच्चे पैदा होने या घर बदलने के बाद। हर बड़े परिवर्तन के बाद नई वसीयत तैयार करना सबसे अच्छी बात है। परतुं वर्तमान वसीयत में मामूली से परिवर्तन या कोडीसिल्ज़ (codicils) भी किए जा सकते हैं। दोनों हालतों में किसी सोलिस्टर से सलाह लेना अच्छी बात है।

ख़र्च

अलग अलग सोलिस्टर वसीयत तैयार करने की फ़ीस भी अलग अलग लेते हैं। यह ख़र्च इन बातों पर निर्भर होगा –

- सोलिस्टर की जानकारी और अनुभव; और
- आपकी वसीयत कितनी पेचीदा है

सोलिस्टर का चुनाव करने से पहले, अपने निकट के कुछ सोलिस्टरों से पता करें कि उनकी फ़ीस कितनी है। परतुं याद रखें कि केवल ख़र्च की ओर ही ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसे सोलिस्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है जिस तक पहुँच करना आसान हो और जिसकी बात आप समझ सकें।

अधिक जानकारी

यह पर्चा सोलिस्टरों द्वारा प्रदान की जाने वाली आम कानूनी सेवाओं के बारे में पर्चों की शृंखला में से एक पर्चा है। इस शृंखला के पर्चों की लिस्ट नीचे दी गई है। ये पर्चे आप अपने सोलिस्टर से ले सकते हैं या ला सोसाइटी को नम्बर 0870 3333 084 पर फ़ोन करके मंगवा सकते हैं।

- आपका अपना घर ख़रीदने के बारे में आपके लिए जानकारी
- तलाक लेने के बारे में आपके लिए जानकारी
- काम पर आने वाली मुश्किलों के बारे में आपके लिए जानकारी
- कारोबार शुरू करने के बारे में आपके लिए जानकारी
- निजी चोट का मुआवज़ा माँगने के बारे में आपके लिए जानकारी
- वृद्ध लोगों की आर्थिक समस्याओं के बारे में आपके लिए जानकारी
- अपने साथी के साथ घर बसाने के बारे में आपके लिए जानकारी
- अपना घर किराये पर देने के बारे में आपके लिए जानकारी
- घर किराये पर लेने के बारे में आपके लिए जानकारी
- सोलिस्टर का उपयोग करने के बारे में आपके लिए जानकारी
- प्रोबेट (वसीयत की सरकारी जाँच पड़ताल) के बारे में आपके लिए जानकारी
- असाईलम (आश्रय) के लिए अर्ज़ी देने के बारे में आपके लिए जानकारी

यह पर्चा आप बड़े अक्षरों या ब्रेल में, सुनने वाली टेप पर, और सी डी पर भी मंगवा सकते हैं। यदि यह पर्चा आपको इनमें से किसी रूप में चाहिए, तो कृपया हमारे साथ इस ईमेल पते पर संपर्क करें – accessibility@lawsociety.org.uk, या हमें नंबर 0870 606 2555 पर फ़ोन करें।

यह पर्चा आप विभिन्न भाषाओं में भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारी इस वेबसाईट पर जाएं – www.lawsociety.org.uk.

Lexcel

Look for Lexcel - the mark of excellence

यद्यपि सही जानकारी देने की हमने पूरी कोशिश की है, परंतु कानून हमेशा बदलता रहता है, और इसका प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग अलग प्रकार का होता है।
यह पर्चा आपके बारे में विशेष सलाह का स्थान नहीं ले सकता, और यदि आप केवल इसी पर्चे पर निर्भर रहेंगे, तो इसके लिए हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे।

Designed by dmlmarketing.co.uk Version 2, 2007 Your guide to making a will - Hindi